न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

पीठासीन अधिकारीः– श्री शत्रुघ्न सिंह गुर्जर (आरएएस)

निर्णय

प्रकरण सख्या : 10/2020

बउनवानः–

लितेन्द्र सिंह तंवर पुत्र विजय बहादुर सिंह जाति राजपूत निवासी श्रीनाल तह0 मांगरोल हाल तैल फैक्ट्रि बारां ...वादी

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, आर0टी0एक्ट0 वास्ते नाम दुरूस्ती

वकील वादी : श्री अजीत कुमार जैर

दायरा दिनांकः 28.01.2020 — निर्णय दिनांक : 20.09.2021

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादी के शामलाती खाते की आराजी वाके ग्राम श्रीनाल चक में खाता संख्या 41 खसरा नं0 65 रकबा 1.85 है0, खसरा नं0 141 रकबा 0.33 है0 किता 2 कुल रकबा 2.18 है0 व खाता संख्या 44 खसरा नं0 22/103 रकबा 0.90 है0, खसरा नं0 64 रकबा 2.25 है0, खसरा नं0 64/119 रकबा 0.92 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 4.07 है0 दर्ज रेकार्ड हैं जो वादी के खाते दर्ज है। उक्त विवादित आराजी में वादी का नाम लितेन्द्र तंवर दर्ज हो रहा है जबकि वादी का वास्तविक नाम लितेन्द्र सिंह तंवर है। वादी के अन्य दस्तावेजो आधार कार्ड, पेन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, में वादी का नाम लितेन्द्र सिंह तंवर दर्ज है। वादी सरकारी योजनाओ का लाभ नही ले पर रहा है। इसलिए वादी राजस्व रेकार्ड में लितेन्द्र तंवर के स्थान पर लितेन्द्र सिंह तंवर नाम शुद्ध करवाने का कानूनी अधिकारी है।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 28.01.2020 को दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादी तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार भी है को रिपोर्ट हेतु तबल किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) ने अपने पत्र कमांक/राजस्व/2020/728 दिनांक 30.12.2020 से जवाब प्रस्तुत किया जिसके अनुसार ग्राम श्रीनालचक में खाता संख्या 41 में प्रार्थी का नाम लितेन्द्र तंवर पुत्र विजय बहादुर जाति राजपूत एवं श्रीनालचक के खाता संख्या 44 में लितेन्द्र तंवर पुत्र विजय बहादुर सिंह जाति राजपूत राजस्व रेकार्ड में खाते दर्ज है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज पहचान पत्र आधार कार्ड, आयकर विभाग, भामाशाह, ड्राईविंग लाईसेंस में प्रार्थी का नाम लितेन्द्र सिंह तंवर दर्ज है अतः सही नाम लितेन्द्र सिंह तंवर राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने की अनुशंषा की जाती है।

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां (राज0)

Scanned by CamScanner

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो का आद्योपान्त अध्ययन, अवलोकन व मनन किया गया। वकील वादी की दिनांक 20.09.2021 को एक पक्षीय बहस सुनी गयी। अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में उन्ही तथ्यों का कथन किया जिनका उनके द्वारा अपने वाद पत्र में अंकन किया गया है तथा वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में परिवार राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, आदि से भी वादी का सही लितेन्द्र सिंह तंवर होना जाहिर होता है। दस्तावेजात के पक्ष में गवाह वादी स्वयं के बयान करवाये गयें। जो शामिल पत्रावली है। अतः तहसीलदार मांगरोल की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजात व दिनांक 20.09.2021 को अधिवक्ता वादी की सुनी गयी बहस के आधार पर आराजी ग्राम ग्राम श्रीनाल चक में खाता संख्या 41 खसरा नं0 65 रकबा 1.85 है0, खसरा नं0 141 रकबा 0.33 है0 किता 2 कुल रकबा 2.18 है0 व खाता संख्या 44 खसरा नं0 22/103 रकबा 0.90 है0, खसरा नं0 64 रकबा 2.25 है0, खसरा नं0 64/119 रकबा 0.92 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 4.07 है0 की राजस्व जमाबंदी में वादी का नाम लितेनद्र तंवर के स्थान पर लितेन्द्र सिंह तंवर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार तहसीलदार मांगरोल को राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.09.2021 को सरेईजलास मजमेंआम में सुनाया गया।

(शत्रुघ्न सिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां (राज०)

Scanned by CamScanner